डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-609 **New Delhi: 17.08.2020**

Sh. Gian Singh Dhariwal
S/o Sh. Mahendra Singh
H. No.-750, Sector-12
R. K. Puram, New Delhi-110022
M. 9050401244

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 29.07.2020eceived in this office on 07.08.2020.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

17/08/2020

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

DA: 04 sheets

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपकम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-2542889, Fax: 0120-4193877

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No: DFCC/Noida Unit/Parliament Question & RTI/3722 Dated: 13-08-2020

Dy. General Manager (PIO)
Corporate Office, Pragati Maidan
New Delhi
Email: skroy@dfcc.co.in

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1) C.O Letter No. 2020/HQ/Admin/RTI-609 Dated 07.08.2020
2) ग्यान सिंह धारीवाल पुत्र श्री महेन्दर सिंह, आर0के0 पुरम, दिल्ली का सूचना आवेदन दिनांक–29.07.2020

महोदय,

सूचना का अधिक़ार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी ग्यान सिंह धारीवाल पुत्र श्री .महेन्दर सिंह निवासी–मकान नं0–750, सेक्टर–2, आर0के0 पुरम, दिल्ली के सूचना आवेदन दिनांक–29.07.2020 हेतू सूचनायें अधोहस्ताक्षेरी के कार्यालय से माँगी गयी हैं, जोकि निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	जितनी बार जमीन का अधिग्रहण हुआ उतनी बार 20 हजार रूपये प्रति किसान को नहीं दिया। भुगतान केवल एक बार हुआ [Em(क) Sl.No.1 Sub Para (iv) refers] क्यों?	रेल मंत्रालय/डी0एफ0सी0सी0आई0एल की आर0आर0पी0 2012 के तहत 1500 वर्ग मीटर की अधिग्रहित भूमि के लिए 20000/– एवं उससे ऊपर की अधिग्रहित भूमि हेतु 15 रू0 प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त अनुदान राशि देय होगी।
2.	1500 वर्ग मीटर से अधिक अधिग्रहित रकवे के लिए 20 हजार रूपये + @ Rs. 15/- per sq. mtr. के हिसाब से भुगतान होना चाहिये जो नहीं हुआ उल्टे 20 हजार रूपये कुल भुगतान में से काट लिये गये?	उपरोक्त के हिसाब से ही जितनी जमीन का अधिग्रहण हुआ है आर0आर0पी0 की राशि सक्षम प्राधिकारी कार्यालय द्वारा भुगतान की गयी है। आर0आर0पी0 की प्रतिलिपि संलग्न है।
3.	01.01.2014 के बाद भी जब कानून 30–2013 लागू हो गया था DFCC ने RAA-2008 को लागू रखते हुए भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जिसमें Solatium राशि भी शामिल है और नया कानून नहीं अपनाया (Sec. 103, 105 (para-3) (Ist Schedule Sec.2, 4 referes) ?	प्रार्थना पत्र में मांगी गयी सूचना, भाग–2 (F) RTI Act 2005 के अर्न्तगत नहीं आती।

13/08/2020

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-2542889, Fax: 0120-4193877

4.	आने वाले समय में अधिग्रहित होने वाली जमीन में कौन से कानून को लागू किया जायेगा? RAA-2008 Or 30-2013 ?	किसी भी नये अधिग्रहण की प्रक्रिया "The Railways Act 1989/RAA-2008" से ही की जायेगी परन्तु Market Value of land का निर्धारण RFCTLARR-2013 (The First Schedule) के प्रावधानानुसार किया जायेगा।
5.	भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार को एक व्यक्ति की नौकरी या एक मुश्त पांच लाख RPT पांच लाख रूपये का भुगतान होना चाहिए था (Act 30-2013 Second Schedule Sl. No.4(a)(b) refers) नहीं हुआ ?	प्रार्थना पत्र में मांगी गयी सूचना, भाग–2 (F) RTI Act 2005 के अर्न्तगत नहीं आती।
6.	क्या रेलवे मंत्रालय [DFCC ने हरियाणा सरकार से इस सरकार द्वारा बनाये गये अधिग्रहण कानून जो RAA-2008 से बेहतर और किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो – के बारे में जानकारी मांगी (जैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया)?	प्रार्थना पत्र में मांगी गयी सूचना, भाग–2 (F) RTI Act 2005 के अर्न्तगत नहीं आती।
7.	पहले अधिक जमीन के अधिग्रहण का Notification, फिर कम क्षेत्रफल का भुगतान, अगले अवार्ड द्वारा अधिग्रहण, भुगतान करना, शुद्धिपत्र द्वारा अधिक जमीन अधिग्रहण से जमीन को रिलीज करना, अगले शुद्धिपत्र द्वारा दूसरी बार की गई अधिग्रहित जमीन को रिलीज करना, फिर उसी शुद्धिपत्र द्वारा दूसरी जगह जमीन ले लेना ये सब कार्य किसानों को जानकारी दिये बिना, फिर एक दिन किसानों को जारी तारीख से छः महीने के बाद रिकवरी नोटिस पकड़ा देना (शुद्धिपत्रों और रिकवरी नोटिसों की कॉपी संलग्न) ये सब RAA-2008 के या Act 30-2013 या और कोई नया कानून बना है उसके तहत? (i) किसी अवार्ड के घोषित होने के बाद उसके लागू रहने की समय सीमा क्या है? (ii) रिलीज की गई जमीन को दोबारा लेने के लिये नये सिरे से पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया होनी चाहिए? (iii) क्या रिलीज की गई जमीन की किसान को जानकारी आवश्यक नहीं? (iv) रिलीज की गयी जमीन की रिकवरी में Solatium राशि को रिकवर नहीं किया जाना	उक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से RAA-2008 के तहत सक्षम प्राधिकारी कार्यालय, पलवल द्वारा की गयी है।

13/8/2020

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-2542889, Fax: 0120-4193877

	चाहिये (Act-2013 Sec. 101 refers] लेकिन इसे रिकवर किया जा रहा है?	
8.	अब तक मुझे किये गये भुगतानों का विवरण सहित ब्यौरा देने की कृपा करें (किला नं0 55/8/1-55/13/1)	सम्बन्धित सूचना सक्षम प्राधिकारी/एस0डी0ओ0,पलवल कार्यालय से सम्बन्धित है। इसके लिए अलग से एस. डी. ओ. कार्यालय में आवेदन करे।

तदानुसार सूचित हो।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

13/08/2020

(वाई0पी0 शर्मा)
उप–मुख्य परियोजना प्रबन्धक/सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0/नोएडा

RRP

आरएए 2008 और एनआरआरपी 2007 पर आधारित डीएफसीसी परियोजना के लिए मौलिक पात्रता

(इनटाइटलमेंट मैट्रिक्स)

कम संख्या	आवेदन	प्रभावित व्यक्तियों की परिभाषा	हकदारी	विवरण
(क) निजी कृषि, रिहायशी और वाणिज्यिक भूमि की हानि				
1	परियोजना के रास्ते में आने वाली भूमि	पारम्परिक भूमि अधिकारों सहित वैध शीर्षक धारक और प्रभावित पार्टियां	1. स्थानापन्न लागत पर क्षतिपूर्ति 2. पुनः स्थानापना और पुनर्वास	(i) उस भूमि के लिए बाजार मूल्य पर नकद क्षतिपूर्ति जो नोट (क) (आर ए ए 2008 की धारा 20 जी) में उल्लिखित अनुसार निर्धारित की जाएगी। (ii) उपर्युक्त (1) आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (9) में निर्धारित क्षतिपूर्ति पर 60 प्रतिशत मुआवजा (iii) ऐसी स्थिति में जहॉ कि राज्य सरकार द्वारा कोई एक्ट या गजट नोटिफिकेशन या कोई भूमि मुआवजे के उद्देश्य से दर निर्धारण की मंजूरी की गई हो, सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त (i) एवं (ii) के बदले में उसे भी अपना सकते हैं। (iv) 1500 वर्ग मीटर तक की अधिग्रहित भूमि के लिए 20000/– एवं उससे ऊपर की अधिग्रहित भूमि हेतु 15 रू0 प्रति वर्ग की दर से अतिरिक्त अनुदान राशि देय होगी। (एन आर आर पी पैरा 7.19) (v) भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यदि भूमि धारक भूमि हीन हा जाता है या उसकी स्थिति 'छोटे' या 'सीमांत' किसान की हो जाती है तो उसे 750 दिन के बराबर न्यूनतम कृषि मजदूरी की पुनर्वास